Clause 9 was added to the Bill.

Clause 10 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRIMATI KANTI SINGH: Sir, I move that the Bill be passed.

The quesiton was put and the motion was adopted.

THE WORKING JOURNALISTS AND OTHER NEWSPAPER EMPLOYEES (CONDITIONS OF SERVICE) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS (AMENDMENT) BILL, 1995

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): Sir, I move:

> "That the Bill further to amend the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous provisions Act, 1995, be taken into consideration."

Sir, the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 provides for regulation of conditions of service of working journalists and other persons employed in newspaper establishments. Section 9 of the Act provides for the constitution of a Wage Board for fixing or revising the wages in respect of working jounalists, and 13C of the Act provides for the constituton of a similar Board in respect of non-journalist newspaper employees. Under the provisons of these sections, each Board shall consist of two persons representing employers in relation to newspaper establishements, two persons representing working journalists or, as the case may be, non-journalist newpaper employees, and three independent persons, one of whom shall be a person who is, or has been a Judge of a High Court of the Supreme Court and who shall be appointed by the Central Government as the Chairman of the Board. The Central Government had constituted on 2nd September, 1994 two Wage Boards, one for working journalists and the other for non-journalist newspaper employees. There have been demands from employers, working journalists and non-journalist newspaper employees to increase the representation for each category in the Wage Boards to provide for wider representation. It is, therefore, proposed to amend clauses (a) to (c) of secitons 9 and 13C of the Act to provide for wider representation to all the constituents of the Wage Boards by increasing the number of representative by one for each such category. The amendment will enable the Central Government to provide broad base not only to the existing Wage Boards but also to the Wage Boards that may be constituted in future. The amending Bill has been introduced for this purpose. Sir, I would request the House to take it for consideration and pass it without any discussion.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SLIM): Mr. V. Narayanasamy. He is not here.

SHRI N. GIRI PRASAD: Sir, it is already delayed. *(Interruptions)*......

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): But, some names are there. ......*(Interruptions)*..... Dr. Mahesh Chandra Sharma.

डा० महेश चन्द्र शर्मा। शर्मा जी, शुरू करने से पहले मैं सदन से अनुमति लूंगा अगर आप सब सदस्य सहमत हों तो हमारे वरिष्ठ साथी श्री ईश दत्त यादव से मैं अनुरोध करूंगा कि वे आकर चेयर पर बैठे।

(श्री ईश दत्त यादव पीठासीन हुए)

डा॰ महेश चन्द्र शर्मा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक 1995 का विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन इसका समर्थन करने में मुझे बहुत उत्साह भी नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि यहां जो उद्देश्यों की बात कही गई है कि यह संख्याओं का वर्द्धन क्यों हो रहा है? जो समाचारपत्रों के मलिक हैं, जो श्रमजीवी पत्रकार हैं और जो स्वतंत्र व्यक्ति है, इन तीनों के ही प्रतिनिधियों में एक-एक की संख्या में वृद्धि हुई है और इसके उद्देश्यों और कारणों में केवल यह कहा गया है कि इसकी मांग की गई है। इसमें स्पष्ट नहीं है कि समाचारपत्रों के मालिकों ने यह मांग क्यों की, श्रमजीवी पत्रकारों ने यह मांग क्यों की? जो स्वतंत्र व्यक्ति हैं उनकों सरकार ही तय करती है उनकी ओर से तो किसी प्रकार की मांग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मान्यवर, मुद्दा यह नहीं कि वेज बोर्डों की संख्या का वर्द्धन हो। मुद्दा यह है कि वेज-बोर्ड जिस हेतु से बनाये गये हैं उस हिसाब से क्या वे काम कर रहे हैं और उनकी जो संस्तुतियां हैं उनको क्या लागू किया जा रहा है?

मान्यवर, श्रमजीवी पत्रकार भी एक वैसा ही कामगार है जैसा किसी अन्य उद्योग मे होता है। आज अनेक उद्योगों में ऐसी स्थिति है कि जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती जाती है महंगाई बढ़ने की दर के साथ ही, उनके वेजेज अपने आप बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो मसिजीवी है, कलमकार है, इसको अपना वेज बढ़ाने के लिए बार-बार वेज-बोर्ड के गठन के लिए मांग करनी पड़ती है। सन् 1955 में जब यह अधिनियम बना था तब श्रमजीवी पत्रकरों के क्षेत्र में इस अधिनियम को बड़ा क्रांतिकारी माना गया था लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि हर बार पत्रकारों को नया वेज गठित करने के लिए मांग करनी पड़ती है। मांग करने के बाद वेज बोर्ड गठित हुए हैं, पहले पालेकर एवार्ड हुआ फिर बछावत एवार्ड हुआ। महोदय, मंत्री जी को मालूम होगा कि उन अनुशंसाओं को अभी लागू नहीं किया है। और बछावत अवार्ड जिन्होंनि लागू नहीं किया है उन पर क्या कार्यवाही हो रही है? संख्या के वर्धन से जो इसका हेतु है वह हेतु पूरा नहीं हो सकता। मान्यवर, जो वर्तमान वेज बोर्ड है उसका गठन हुए दो वर्ष हो गए हैं। मुझे जानकारी है कि वर्तमान वेज बोर्ड ने अंतरिम सहायता की संस्तुति सरकार को दे दी है। लेकिन सरकार यह संशोधन विधेयक लेकर आई है। पर वह यह घोषणा नहीं कर रही है कि वेज बोर्ड ने श्रमजीवी पत्रकरों के लिए अंतरिम सहायता की क्या संस्तुतियां की है और उन संस्तुतियों को सरकार लागू करवा रही है या नहीं। यदि वेज बोर्ड की संस्तुतियां लागू नहीं होती हैं तो मान्यवर इन संख्याओं के वर्धन से फायदा क्या है, मुझे नहीं मालूम कि सरकार के मन में ठीक ठीक क्या जवाब इस बात का है और संख्याओं के वर्धन की मांग क्यों की गई?

मान्यवर, जहां तक में समझता हूं पत्रकारों के भी और मिल-मालकों के भी अलग अलग संगठन हैं। संगठनों में फूट पड़ जाती है। संगठन एक से दो हो जाते हैं। जब संगठन एक से दो हो जाते है तो दूसरा संगठन कहता है कि जिन संगठनों के प्रतिनिधि अभी बोर्ड में हैं, वे हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं। इसलिए संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। मिल-मालिकों के संगठन और पत्रकारों के संगठन आज टूटकर दो और तीन हुए हैं, कल चार, पांच और छह भी हो सकते है। इस प्रकार संगठनों के टूटने से वेज बोर्ड में उनके प्रतिनिधियों को लाने के लिए संख्याओं का वर्धन, यह एक अच्छी स्थिति नहीं है। मान्यवर, इस चीज को माना जा सकता है कि व्यापक प्रकार के प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की मर्यादा और मांग के अनुकूल है। लेकिन जो उद्देश्यों के कारणों का कथन् यहां इस में किया गया है, उसमें कोई ऐसा कारण वर्णित नहीं है कि यह संख्या का वर्धन क्यों हो रहा है। यह केवल इसलिए किया गया कि मांग थी और उस मांग की पूर्ति में हो रही है। पर यह मांग क्यों कि गई थी उसका कोई वर्णन इसमें नहीं है।

मान्यवर, अंतरिम सहायता और पत्रकारों के वेज मंहगाई की दर के साथ स्वाभाविक रूप से अपने आप बढ़ते जांए इसकी कोई व्यवस्था, इसका कोई प्रावधान वेज बोर्ड के साथ लगा होना चाहिए। मैं देख रहा हूं यह मुद्दा इसमें नहीं जोड़ा हुआ है। मान्यवर, शायद मंत्री जी को याद होगा कि इसी अधिनियम में एक बार संशोधन हुआ था जिसमें.....

(उपसभाध्यक्ष (श्री वी॰ नारायणसामी) पीठासीन हुए)

श्रमजीवी पत्रकारों की परिभाषा में फ्री-लांस जर्नलिस्ट भी जोड़े गए हैं और स्वतंत्र पत्रकारों को श्रम-जीवी पत्रकार माना गया था। लेकिन क्या सरकार के पास रिपोर्ट है कि कितने फ्री-लांस जर्नलिस्ट ऐसे है जो श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेज बोर्ड द्वारा निर्धारित जो लाभ हैं, वे लाभ उनको मिल रहे हैं? मान्यवर, इस संशोधन का यह दुष्परिणाम हुआ कि अनेक छोटी छोटी जगहों पर अनेक स्वतंत्र पत्रकार स्ट्रिन्जर के रूप में काम कर रहे हैं और दो-दो अखबारों में साथ साथ काम करते

हैं। वे भी वेज बोर्ड के लाभों की मांग करेंगे, इसलिए बहुत से अखबारों ने स्ट्रिन्जर हटा दिए। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप संख्या की वृद्धि ही कर रहे है, अखबारों के मालिकों के, पत्रकारों और स्वतंत्र व्यक्तियों की संख्या में तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया इस बात का अवश्य ध्यान दीजिए कि पत्रकारों की संख्या वर्धन मे कम से कम एक प्रतिनिधि जो फ्री-लांस जर्नलिस्ट हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनको लाया जाए तो मैं समझता हूं कि यह जो पब्लिसिटी की व्यापकता है, उसके साथ न्याय होगा। मान्यवर, यह जो दोनों ही वेज बोर्ड में खंड (3) है, खंड (ग) है, खंड (सी) है, इसमें कहा गया है "तीन स्वतंत्र व्यक्ति"। यदि स्वतंत्र व्यक्ति की परिभाषा हो सकती तो अच्छा होता। यह इंडीपेंडेंट है, सरकार पर डिपेंडेंट है, मैं समझता हूं इन तीन स्वतंत्र व्यक्तियों का जिनका नामांकन सरकार करती है, अब वे तीन से चार हो जाएंगे लेकिन इन चार होने में स्वतंत्र यानी कौन, स्वतंत्र यानी कैसा, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। इनकी संख्या सब से ज्यादा होने वाली है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो स्वतंत्र व्यक्ति है, इसकी परिभाषा की जानी चाहिये।

मान्यवर, इस संख्या वर्द्धन के साथ पत्रकारों का सही प्रतिनिधित्व वहां हो, इसकी चिंता इस संशोधन में कहीं नहीं दिखाई देती है। मुझे लगता है यदि वह चिंता की जाएगी तो अच्छा रहेगा। इसके साथ ही इस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं कि वेज बोर्ड का गठन पत्रकारों की बार बार मांग के बाद होता है। जो अनुशंसाएं होती हैं, जो संस्तुतियां वे करते हैं, वे लागू नहीं होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कोई यंत्र इस प्रकार का होना चाहिये, कोई व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिये जिसमें मंहगाई की दर में वृद्धि के साथ पत्रकारों की वेतन वृद्धि स्वाभाविक रूप से होती रहे । मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी हम से चाहेंगे कि हम इसे पारित करें, मैं चाहूंगा कि वे मेरी बातों का जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी॰ नारायणसामी) धन्यवाद आपको। श्री मोहम्मद सलीम।

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल): उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसे सदन का मूड पता चल रहा है कि हमें इस पर सहमति है और हम इसके बारे में ज्यादा लम्बी बहस छेड़ना भी नहीं चाहते हैं। एक बात जो सब से ज्यादा चिंताजनक है, वह है सरकार की निलर्प्तिता। जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़पेपर इम्पलाइज़ हैं, इनके बारे में सरकार को जिस तरह से तव्जो देनी चाहिये, वह सही तरीके से दे नहीं रही है। सब से अफसोसनाक बात यह है कि हमारे देश के लोग समझते है कि अगर कोई मामला अखबार में काम करने वालों की मालूम हो जाएं, पत्रकारों को मालूम हो जाएं, तो सरकार की नज़र में आ जाएगा, शासन की नज़र में आ जाएगा और हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो पत्रकार हैं, जो अखबार में काम करने वाले लोग हैं उनकी जो समस्या है, वह सरकार के इतने नज़दीक रहने के बावजूद भी जिनकी पूरी जिम्मेदारी है देश की जनता और समाज की बात को सरकार के कान तक, आंख तक पहुंचाएं, उनके बारे में जो जिम्मेदारी सरकार की है वह भी बहुत थोड़े तरीके से, कमज़ोर तरीके से सरकार लेती है। इस बिल से यह बात आप समझ लेंगे। जब यह बिल आया तो कितने दिन हो गये, एक साल से ज्यादा हो गया। जो मंत्री महोदय उस समय बिल लाए थे, वे अब लोक सभा के अध्यक्ष बन चुके हैं लेकिन हम अभी इसको पारित करने के बारे में सोच रहे हैं। यह एक अधूरा बिल है। जैसे कि रिप्रेज़ेंटेशन बढ़ाने का सवाल है, हमारे साथी कह रहे थे कि कंप्रिहेंसिव बिल लाने की जरूरत है। अखबारों में काम करने वाले जो कर्मचारी है, पत्रकार हैं, उनकी जांच सिक्युरिटी का सवाल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सिर्फ वेज रिविज़न नहीं यह जो बिल है दि वर्किंग जर्नलिस्ट्स एंड अदर न्यूजपेपर एम्पलाइज (कंडिशंस आफ सर्विस) एंड मिसलेनियस प्रोविजन्स (अमेंडमेंट) बिल, 1995, यह एक कंप्रिहैंसिव बिल लाना चाहिये था, नया कानून लाना चाहिये था ताकि वह अपने को सिक्युर्ड महसूस करे। यह बात इसमें नहीं है। इस एटमासफियर आफ ग्रोइंग लिब्रलाइज़ेशन में तो यह एक-दम हायर एंड फायर चल रहा है। कन्ट्रेक्ट के आधार पर, बुनियाद पर उनको नौकरी दी जा रही है, काम दिया जा रहा है। स्टेट काउंसिल का सदस्य होने के नाते वहां जो भी जर्नलिस्ट्स के आर्गेनाइजेशंस हैं और वर्किंग जर्नलिस्ट्स के जो लोग हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनमें हमारी बात हुई और इस बारे में बहस चल रही है कि जो कंट्रेक्ट के जरिए आप इस तरह से कर रहे हैं तो हर प्रोफेशन में जैसे होता है कि लैडर में जो एकदम नीचे लगे हुए लोग होते है बेचारे, खास करके नये नौजवान पत्रकार जो है जो बहुत सपना लेकर इस प्रोफेशन से जुड़ते है उनकी न तो जाब सिक्योरिटी का सवाल है, न आगे बढ़ने का सवाल है, न सही तनख्वाह या मुआवजा मिलने का सवाल है। इसको कौन देखेगा? एक आई॰एल॰ओ॰ कन्वेंशन है। उपसभाध्यक्ष जी, आप हमेशा इस बारे में कहते रहते हैं। आप भी आप सचेत हैं कि जो आई॰एल॰ओ॰ कन्वेंशन है उसका यह वायोलेशन हो रहा है। हम उसके

सिग्नग्नेट्रीज हैं। कंन्ट्रेक्ट के आधार पर यहां लोग लिए जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि बड़ी बड़ी अखबार संस्थाएं हैं, जायंट्स हैं, मोनोपोलिस्ट्स हैं। हमारे बहुत से राजनेता, चाहे मंत्री हों चाहे विरोधी पक्ष में हों, चाहे सदस्य हों वे भी समझते हैं कि ये जो बड़े बड़े जायंट आर्गेनाइजेशंस है इनसे अगर कोई सहायता मिल जाए तो चुनाव की नदी पार हो जाएगी। इसलिए नहीं बोलते। इंटरिम रिलीफ है—कितने दिन हो गए। पिछली सरकार जब नहीं कर रही थी, हमने समझा, हो सकता है कि चुनाव है तो बड़े बड़े जो अखबार के मालिक है उनको वे छेड़ना नहीं चाहते है। मैंने यह बात सदन में कही थी और उस सरकार ने इंटरिम रिलीफ के लिए पत्रकर जब सड़क पर थे उसके बावजूद भी उसको बढ़ाने के बारे में कोई मदाखलत नहीं की। अभी जो नयी सरकार आई, अरूणाचलम जी से पहले जो मंत्री बने थे, अभी कल्याण मंत्रालय में हैं, उन्होंने बयान दिया कि इंटरिम रिलीफ बढ़ाने के बारे में और एलाउ करने के बारे में मैं कदम उठाउंगा। लेकिन अॅरूणाचलम जी से हम यह सुनना चाहते हैं। क्या हम इंतजार करते है कि जब तक लोग सड़क में नहीं आएं जब तक स्ट्राइक की धमकी नहीं दे तब तक कुछ नहीं करेंगे? हमारे बहुत से यहां साथी हैं जैसे सिंगला जी हैं जो कहते हैं कि ये सब ट्रेड यूनियन क्यों करते है, सड़क में क्यों आते हैं। तो यह मुझे अच्छा लगा कि वे स्ट्राइक के फेवर में बोले.....**(व्यवधान)** स्ट्राइक के फेवर में बोले, अधिकार की बात कहे। लेकिन हम सरकार ऐसे चला रहे हैं, व्यवस्था ऐसे चला रहे हैं कि जब तक वे नहीं रोएं, जब तक सड़क में नहीं उतरें तब तक सरकार हिलती नहीं है। रेड टेपिज्म है ब्यूरोक्रेसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकार के अंदर। अभी वे कह रहे थे कि रेगूलर रिविजन होना चाहिए। हमने इस कानून के तहत वेज बोर्ड बनाने का मामला कहा। लेकिन क्या ऐसे नहीं कर सकते है कि पांच साल के बाद अगर सरकार बदलती है जो पांच साल में एक बार रिविजन आ जाए, वेज बोर्ड आ जाए। एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। न होने के कारण रेगूलर रिविज़न में 15-20 साल लग जाते हैं। पिछले वाले में तो 10 साल लग गए लागू करते करते— रिलीफ को या जो वेज बोर्ड के सजेशन थे, रिक्मेंडेशंस थे। बहुत धीमे तरीके से चलता है। इसलिए मैंने यहां शुरू किया था कि लोग समझते है, एक, कि पत्रकार को हमारी समस्या मालूम हो जाए तो जल्दी हल हो जाएगी, जबकि पत्रकार की समस्या हल नहीं होती। दूसरा, लोग समझते हैं कि अगर सदन में बात उठा देंगे तो बहुत जल्दी हल हो जाएगी। सरकार जल्दी जल्दी कर देगी। सदन में हम बिल ले आकर एक साल लगाते हैं पारित करने के लिए। ये जो दिक्कतें हैं इनको आप किस तरह से सुधारेंगे। इसलिए मैंने अपना जो सुझाव पेश किया, वह नम्बर एक है कि एक कंप्रीहेंसिव बिल ले ज़ाना चाहिए। दूसरी बात है कि इस रेगूलर रिविजन के बारे में एक्ट नहीं कुछ ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए। कि हर पांच साल के बाद रिविजन हो—जर्नलिस्ट्स के बारे में भी हो, वर्किंग जर्नलिस्ट्स के बारे में भी हो, जो न्यूजपेपर इंप्लायीज है उनके बारे में भी हो। हां, जहां तक प्रतिनिधि बढ़ाने का सवाल है हम इसका समर्थन करते है कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए। लेकिन उसकी जो कंपोजीशन है वह तो काफी चेंज नहीं हुई है। वह दो की जगह तीन किया और तीन की जगह चार किया। दिक्कत यह है जैसे वे कह रहे थे और वर्किंग जर्नलिस्ट लोगों का हमारे यहां दुर्भाग्य है, लेकिन कोई भी संगठन ऐसे टूट जाते हैं, नये पड़ जाते हैं तो उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना पड़ता है। लेकिन मालिक थोड़े और ज्यादा चालाक होते हैं। वे कुछ कागजी संगठन बना लेते हैं ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन और ज्यादा बढ़ जाए। इस तरह से बैलैंस के आधार पर कुछ हो जाए।

श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला: लीडर भी बना लेते हैं कहीं कहीं।

श्री मोहम्मद सलीम: ऐसा उदाहरण होगा आपके पास। मुझे नहीं मालूम है। लीडर चाहे किसी का भी हो लेकिन अगर वे अपना वेस्टेड इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करते है तो ठीक नहीं। तो इस तरह से वे कागजी संगठन बना लेते हैं। इसके बारे में सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात है कि इंटरिम रिलीफ के बारे में मैने कहा कि सरकार को तवज्जह देनी चाहिए ताकि वह मिले। चौथी बात यह है कि लागू हो। जो भी रिक्मेडेशंस आए वह जल्दी से जल्दी लागू हो। बहुत से जो बड़े अखबार है जो दे सकते हैं, प्राफिट बना रहे हैं वे डाइवर्सीफिकेशन कर रहे हैं, अखबार से मुनाफा लेकर दूसरे कारखाने, दूसरे काम कर रहे हैं, दूसरे बिजिनेस कर रहे हैं। लेकिन अखबार के जो पत्रकार हैं जिनके जरिए वे मुनाफा कर रहे हैं, जो कर्मचारी है उनको जो हक देना चाहिए वह हक वे देते नहीं हैं तो वह एक्सप्लायटेशन वहां भी हो रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी यह जो प्रिंट मीडिया है इससे ज्यादा बढ़ गया है, इलैक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी आ गया है, अभी तो हम दूरदर्शन में भी बहुत से ऐसे आर्गेनाइज़ेशन हैं जिनको हम चैनल उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन यह जो न्यूज़ और व्यूज़ का कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं तो उनके जो

एम्पलाइज़ हैं उनको भी सही-सही तरीके से हक मिलना चाहिए, उसका भी कुछ प्रबन्ध होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं मि० मिनिस्टर अगर आप थोड़ा ध्यान देते हैं।

†[شری محمد سلیم "پشچمی بنگال": اب سبھا ادھیکش مہودے۔ جیسے سدن کا موڈ" پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں اس پر اتفاق ہے اور ہم اسکے بارے میں زیادہ لمبی بحث چھیڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں ایک بات تو سب سے زیادہ فکر ہے وہ ہے سرکار کا "نولیپتسنا" جو "ورکنگ جرنلسٹ" ہیں "نیوز پیپر امپلائز" ہیں انکے بارے میں سرکار کو جسطرح سے توجہ دینی چاہئے وہ صحیح طریقہ سے دے نہیں رہی ہے۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے دیش کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی معاملہ اخبار میں کام کرنے والوں کو معلوم ہو جائے "پترکاروں" کو معلوم ہو جائے تو سرکار کی نظر میں آ جائیگا۔ شاسن کی نظر میں آ جائیگا۔ اور ہماری "سمسیا کا سمادھان" سمادھان ہو جائیگا۔ جو پترکار ہے۔ جو اخبار میں کام کرنے والے لوگ ہیں انکی جو سمسیا ہے وہ سرکار کے اتنا نزدیک رہنے کے باوجود بھی جنکی پوری ذمہ داری ہے۔ دیش کی جنتا اور سماج کی بات کو سرکار کے کان تک۔ آنکھ تک پہنچائیں۔ انکے بارے میں جو ذمہ داری سرکار کی ہے وہ بھی بہت تھوڑے طریقے سے۔ کمزور طریقے سے سرکار لیتی ہے۔ اس بل سے آپ یہ بات سمجھ لیں گے۔ جب یہ بل آیا تو کتنے دن ہو گئے۔ ایک سال سے زیادہ ہو گیا۔ جو منتری مہودے اس وقت بل لائے تھے وہ لوک سبھا کے ادھیکش بن چکے ہیں۔ لیکن ہم ابھی اسکو پاس کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ ایک ادھورا بل ہے۔ جیسے کہ "ریپریزنٹیشن" بڑھنے کا سوال ہے۔ ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ "کمپری ہینسیو" بل لانے کی ضرورت ہے اخباروں میں کام کرنے والے جو کرمچاری ہیں۔ پترکار ہیں انکی "جاب سیکیورٹی" کا سوال ہے۔ اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے صرف "ویج ریویژن" نہیں۔ یہ جو بل ہے "دی ورکنگ جرنلسٹ اینڈ ادر نیوز پیپرس امپلائز" (کنڈیشنس آف سروس) اینڈ مسلینیس پروویزنس "امنڈمینٹ) بل ۱۹۹۵۔ یہ ایک "کمپری ہینسیو بل" لانا چاہیے تھا نیا قانون لانا چاہیے تھا۔ تاکہ وہ اپنے کو سیکیور محسوس کریں۔ یہ بات اسمیں نہیں ہے۔ اس "ایٹموسفیر آف گروئنگ لبرلائزیشن" میں تو یہ ایک "ہائر اینڈ فائر" چل رہا ہے "کنٹریکٹ" کے ادھار پر۔ بنیاد پر انکو نوکری دی جا رہی ہے۔ کام دیا جا رہا ہے۔ "اسٹیٹ کاؤنسل کا ممبر" ہونے کے ناطے وہاں جو بھی "جرنلسٹ" سے آرگنائزیشنس" ہیں اور "ورکنگ جرنلسٹ" کے جو لوگ ہیں۔ جو انکے نمائندے ہیں ان سے

---

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

ہماری بات ہوئی۔ اور اس بارے میں بحث چل رہی ہے کہ جو "کنسٹریکٹ" کے ذریعہ آپ اسطرح سے کر رہے ہیں تو ہر "پروفیشن" میں جیسے ہوتا ہے کہ "لیڈر" میں جو ایکدم نیچے لگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ بیچارے خاصکر کے نئے نوجوان پترکار جو ہیں۔ جو بہت سپنا لیکر اس "پروفیشن" سے جڑتے ہیں انکی نہ تو "جاب سیکیورٹی" کا سوال ہے۔ نہ آگے بڑھنے کا سوال ہے۔ نہ صحیح تنخواہ یا معاوضہ ملنے کا سوال ہے اسکو کون دیکھیگا۔ ایک آئی۔ ایل۔ او۔ کنونشن ہے۔ اپ سبھا ادھیکش جی۔ آپ ہمیشہ اس بارے میں کہتے رہتے ہیں۔ آپ بھی۔ آپ "سجیت ہیں" کہ جو

آئی۔ ایل۔ او۔ کنونشن ہے اسکا یہ "وائلیشن" ہو رہا ہے۔ ہم اسکے "سگنیٹریز" ہیں۔ کنٹریکٹ کے آدھار پر یہاں لوگ لئے جا رہے ہیں لیکن دقت یہ ہے کہ بڑی بڑی اخبار سنستھائیں ہیں "جوائنٹس" جیسی "مونوپولسٹس" ہیں۔ ہمارے بہت سے راجنیتا ہیں چاہے منتری ہوں۔ چاہے ورودھی پکش میں ہوں۔ چاہے سدسیہ ہوں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے "جوائنٹس آرگنائزیشنس" ہیں۔ ان سے اگر کوئی مدد مل جائے تو چناؤ ندی پار ہو جائیگی۔ اسلئے نہیں ہو سکے "انترم ریلیف" نہیں ہے۔ کتنے دن ہو گئے۔ پچھلی سرکار جب نہیں کر رہی تھی۔ ہم نے سمجھا ہو سکتا ہے کہ چناؤ ہیں تو بڑے بڑے جو اخبار کے مالک ہیں انکو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ میں نے یہ بات سدن میں کہی تھی اور اس سرکار نے "انترم ریلیف" کیلئے پترکار جب سڑک پر تھے اسکے باوجود بھی اسکو بڑھانے کے بارے میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ ابھی جو نئی سرکار آئی۔ اروناچلم جی سے پہلے جو منتری بنے تھے۔ ابھی کلیان منترالیہ میں ہیں۔ انھوں نے بیان دیا کہ "انترم ریلیف" بڑھانے کے بارے میں بعد

"الاؤ" کرنے کے بارے میں قدم اٹھاؤنگا۔ لیکن اروناچلم جی سے ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ جبتک لوگ سڑک پر نہیں آئینگے جبتک اسٹرائک کی دھمکی نہیں دیں۔ جبتک کچھ نہیں کریں گے۔ ہمارے بہت سے یہاں ساتھی ہیں۔ جیسے سنگلا جی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سب "ٹریڈ یونین" کیوں

کرتے ہیں۔ سڑک پر کیوں آتے ہیں۔ تو یہ مجھے اچھا لگا کہ وہ اسٹرائک کے حق میں بولیں ... "مداخلت" ... اسٹرائک کے فیور میں بولے۔ ادھیکار کی بات کہے۔ لیکن ہم سرکار ایسے چلا رہے ہیں۔ ویوستھا ایسے چلا رہے ہیں کہ جبتک وہ نہیں لڑیں گی۔

جبتک سرکٹ میں نہیں اتریں۔ تب تک سرکار چلتی نہیں ہے "ٹریڈ یونینز" ہے بیوروکریسی میں "ایڈمنسٹریشن میں" سرکار کے اندر۔ ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ ریگولر ریویجن ہونا چاہیئے۔ ہم نے اس قانون کے تحت "ویج بورڈ" بنانے کا معاملہ کہا۔ لیکن کیا ایسے نہیں کر سکتے ہیں کہ پانچ سال کے بعد اگر سرکار بدلتی ہے تو پانچ سال میں ایک بار "ریویجن" آجائے "ویج بورڈ" آجائے۔ ایک "ٹائم لمٹ" ہونی چاہیئے۔ نہ ہونے کے کارن "ریگولر ریویجن" میں پندرہ بیس سال لگ جاتے ہیں پچھلے والے میں تو دس سال لگ گئے تھے لاگو کرتے کرتے "ریلیف" تو یا جو ویج بورڈ کے سجیشن تھے "ریکمنڈیشن" تھے۔ بہت دھیمے طریقے سے چلتا ہے۔ اسلئے میں نے یہاں شروع کیا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی پترکار کو ہماری سمسیا معلوم ہو جائے تو جلدی حل ہو جائے گی۔ جبکہ پترکار کی سمسیا حل نہیں ہوتی۔ دوسرا لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر سدن میں بات اٹھا دیں گے تو بہت جلدی حل ہو جائیگی سرکار جلدی جلدی کر دیگی سدن میں ہم بل لے اگر ہم ایک سال لگاتے ہیں پاس کرنے کیلئے۔ یہ جو دقتیں ہیں آپ کس طرح سے سدھارینگے۔ اسلئے میں اپنا جو سجھاؤ پیش کیا وہ نمبر ایک ہے کہ ایک "کمپری ہینسیو بل" ے آنا چاہیئے۔ دوسری بات ہے کہ اس "ریگولر ریویجن" کے بارے میں "ایکٹ" نہیں۔ کچھ ایسا بندوبست کرنا چاہیئے کہ ہر پانچ سال کے بعد "ریویجن" ہو جرنلسٹ کے بارے میں بھی ہو۔ ورکنگ جرنلسٹ کے بارے میں ہو۔ جو نیوز پیپر امپلائز ہیں انکے بارے میں بھی ہو۔ یہاں جہانتک نمائندے بڑھانے کا سوال ہے ہم اسکا سمرتھن کرتے ہیں کہ "ری پری زنٹیشن" بڑھایا جائے۔ لیکن اسکی جو "کمپوزیشن" ہے وہ تو کافی چینج نہیں ہوئی ہے۔ وہ دو کی جگہ تین کیا اور تین کی چار کیا۔ دقت یہ ہے کہ جیسے وہ کہہ رہے تھے اور "ورکنگ جرنلسٹ" لوگوں کا ہمارے یہاں "دربھاگیہ" ہے۔ لیکن کوئی بھی "سنگٹھن" ایسے ٹوٹ جاتے ہیں نئے بڑھ جاتے ہیں تو انکا "پرتی ندھتو" بڑھانا پڑتا ہے۔ لیکن مالک تھوڑے اور زیادہ چالاک ہوتے ہیں۔ وہ کچھ کاغذی سنگٹھن بنا لیتے ہیں تاکہ انکا "ری پری زنٹیشن" اور زیادہ بڑھ جائے۔ اسطرح سے "بیلنس" کے آدھار پر کچھ ہو جائے۔

[شری سریندر کمار سنگلا: لیڈر بھی بنا لیتے ہیں کبھی کبھی]

شری محمد سلیم: ایسا "ادھرن" ہوگا آپکے پاس۔ مجھے نہیں معلوم ہے۔ لیڈر چاہیئے

کسی کا بھی ہو لیکن اگر وہ اپنا "ویسٹڈ انٹریسٹ
ری پریزنٹ" کرتے ہیں تو ٹھیک نہیں۔ تو
اس طرح سے کاغذی سنگٹھن بنا لیتے ہیں۔
اسکے بارے میں سرکار کو تھوڑا دھیان
دینا چاہیئے۔ تیسری بات ہے کہ "انٹرم ریلیف"
کے بارے میں میں نے کہا کہ سرکار کو توجہ دینی
چاہیئے تاکہ وہ ملے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ لاگو
ہو۔ جو بھی "رکمنڈیشنس" آئے وہ جلدی سے
جلدی لاگو ہو۔ بہت سے جو بڑے اخبار ہیں
جو دے سکتے ہیں "پروفیٹ" بنا رہے ہیں۔
وہ "ڈائیورسیفیکیشنس" کر رہے ہیں۔
اخبار سے منافع لے کر دوسرے کارخانے۔ دوسرے
کام کر رہے ہیں۔ دوسرے بزنس کر رہے ہیں۔
لیکن اخبار کے جو بہتر کار ہیں۔ جنکے ذریعہ وہ
منافع کر رہے ہیں۔ جو کرمچاری ہیں انکو جو
حق دینا چاہیئے وہ حق وہ دیتے نہیں ہیں
تو وہ "ایکسپلائیٹیشن" وہاں بھی ہو رہا ہے۔
میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی
یہ جو "پرنٹ میڈیا" ہے اس سے زیادہ بڑھ
گیا ہے الیکٹرانکس میڈیا بھی آ گیا ہے۔ ابھی
تو ہم دوردرشن میں بھی بہت سے ایسے
"آرگنائزیشن" ہیں جنکو ہم "چینل اپلبدھ"
کرا رہے ہیں لیکن یہ جو نیوز اور ویوز کا
کچھ "کاریہ کرم" کر رہے ہیں تو انکے جو
"امپلائرز" ہیں انکو بھی صحیح صحیح طریقے سے حق
ملنا چاہیئے۔ اسکا بھی کچھ انتظام ہونا چاہیئے
اسلئے میں سمجھتا ہوں کہ مسٹر منسٹر آپ اگر
تھوڑا دھیان دیتے ہیں:]

Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to have the attention of the hon. Minister. This is, particularly, in regard to expanding the scope of this Act. This Act, at present, covers only the print media employees and journalists. But it should be 'news media' so that persons engaged in the preparation of 'news and views' programmes and persons catering news to the general public are also included. There should be a comprehensive Bill. This can be done. We should see that these people are also saved from exploitation.

मैं एक और बात कहूंगा और वह पार्ट टाइम वर्कर्स के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट की भी राय है, लेकिन बहुत जगह पर ऐसे है। इस कानून में ऐसा है कि पार्ट टाइम कोई मिलना चाहिए लेकिन अक्सर पार्ट टाइम वर्कर्स को चूंकि हमारे यहां बेरोजगारी ज्यादा है और कुछ लोग ऐसे जर्नलिस्ट बनना भी चाहते हैं, शौक भी है, स्कोप्स कम होते हैं, ग्लैमरस भी है थोड़ा-बहुत बाहर से देखने से तो उसमें पार्ट टाइम की तरह वे जाॅब लेते हैं और उनका ज्यादा एक्सप्लायटेशन किया जाता है। उनका जो यूथ है, जो प्राइम टाइम है उस समय उसको पार्ट टाइम रिटेन करके उसका बहुत ज्यादा एक्सप्लायटेशन होता है। इसलिए एक्ट में ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए ताकि उनका एक्सप्लायटेशन कम हो।

तीसरी बात है, मैं जो लेडर की बात कर रहा था कि अक्सर ऐसा होता कंट्रैक्ट के जरिए जो रिटायर हो जा रहे है जो वैटरंस है यह ऐसा होता है एक्सपीरिएंस से ज्यादा अच्छे-अच्छे बनते रहते हैं, तो जो वैटरन हैं उनको फिर से रिटायरमेंट के बाद भी पोस्ट रिटायरमेंट रिटेन किया जाता है और जो नए लोग उसकी जगह पर आने चाहिएं वे नहीं आ पाते हैं। जो यंग हैं जिनको नौकरी मिलनी चाहिए वह नहीं मिल सकती है। तो उसके लिए ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि जो रिटायर्ड अगर आप रिटेन करते हैं तो जो उनका लास्ट सेलरी ड्रान है उससे कम पैसे में उनको मत दीजिए ताकि जो नए लोग हैं वे भी

काम कर सकें। दोनों का शोषण होता है। इसलिए एक तो पोस्ट रिटायरमेंट में हमारे जो वरिष्ठ हैं उनका भी शोषण होता है और दूसरी बात यह है कि उनको कम पैसे में अगर मिल जाए तो नए लोगों के फिर वे लेना बंद कर देते हैं। नए का स्कोप भी घट जाता है। इस बारे में आप अगर इन तमाम सवालों को ध्यान में रखेंगे और जल्द से जल्द इन्टेरिम रिलीफ की आप घोषणा करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह बिल पारित करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन आपको यह एशोरेंस देना पड़ेगा कि आप एक कंप्रीहेंसिव एक्ट ले आयेंगे। इंटेरिम रिलीफ जैसे जर्नलिस्ट आर्गेनाइज़ेशंस मांग रही हैं उसके तहत् आप बढ़ायेंगे, रेकमेंडेशंस को जल्द से जल्द लागू करने का प्रबन्ध करेंगे और वेज बोर्ड रेगुलर इंटर्वल में आप लगायेंगे तो आपको जो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट है और उसके जो डिक्लेयर्ड एम्स एंड आब्जेक्टिव्स हैं, प्रोग्राम है, उसके साथ ठीक होगा, न्याय होगा और जो अन्याय जर्नलिस्ट्स के साथ और एम्प्लाइज़ के साथ एम्प्लायर्स के द्वारा हुआ है वह सरकार द्वारा उसको थोड़ा कम किया जाएगा। धन्यवाद।

†[شری محمد سلیم "جاری": میں ایک اور بات کہوں گا اور وہ "پارٹ ٹائم ورکرس" کے بارے میں ہے سپریم کورٹ کی بھی رائے ہے لیکن بہت جگہ پر ایسے ہیں۔ اس قانون میں ایسا ہے کہ پارٹ ٹائم کو کئی ملنا چاہیئے۔ لیکن اکثر "پارٹ ٹائم ورکرس" کو چونکہ ہمارے یہاں بے روزگاری زیادہ ہے اور کچھ لوگ ایسے جرنلسٹ بننا بھی چاہتے ہیں۔ شوق بھی ہے "اسکوپس" بھی کم ہوتے ہیں۔ "گلیمرس" بھی ہے۔ تھوڑا بہت باہر سے دیکھنے سے تو اسمیں "پارٹ ٹائم" کی طرح وہ جاب لیتے ہیں اور انکا زیادہ "ایکسپلائٹیشن" کیا جاتا ہے۔ انکا جو یوتھ ہے جو "پرائم ٹائم" ہے اسوقت اسکو پارٹ ٹائم "ریٹین" کرکے اسکا بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے۔ اسلئے کریکٹ میں ایسا بندوبست ہونا چاہیئے تاکہ انکا "ایکسپلائٹیشن" کم ہو۔ تیسری بات ہے۔ میں جو "لیجرڈ" کی بات کر رہا تھا کہ اکثر ایسا ہوتا "کانٹریکٹ" کے ذریعہ جو ریٹائر ہو جا رہے ہیں جو "ویٹرنس" ہیں یہ ایسا ہوتا ہے "ایکسپیرینس" سے زیادہ اچھے اچھے بنتے رہتے ہیں۔ تو جو "ویٹرن" ہیں انکو پھر سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی "پوسٹ ریٹائرمنٹ ریٹین" کیا جاتا ہے اور جو نئے لوگ اسکی جگہ پر آنے چاہیئں وہ نہیں آ پاتے۔ جو جوان ہیں انکو نوکری ملنا چاہیئے وہ نہیں مل سکتی تو اسکے لئے ایسا انتظام ہونا چاہیئے کہ جو ریٹائرڈ اگر آپ "ریٹین" کرتے ہیں تو جو انکا "لاسٹ سیلری ڈراان" ہے اس سے کم پیسہ میں انکو مت دیجیئے تاکہ جو نئے لوگ ہیں وہ بھی کام کر سکیں۔ دونوں کا "شوشن" ہوتا ہے۔ اسلئے ایک تو پوسٹ ریٹائرمنٹ میں ہمارے جو "ورشٹھ" ہیں انکا بھی "شوشن" ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے انکو کم پیسوں میں اگر مل جائے تو نئے لوگوں کے پھر وہ لینا بند کر دیتے ہیں۔ نئے کا "اسکوپ بھی" گھٹ جاتا ہے۔ اس بارے میں اگر آپ ان تمام سوالوں کو دھیان میں رکھینگے اور جلد سے جلد "انٹرم ریلیف" کی آپ "گھوشنا" کرینگے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل پاس کرنے میں تو کوئی دقت نہیں ہوگی لیکن آپ کو یہ ایشورنس دینا پڑے گا کہ آپ

---

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

"کمپری ہینسیو ایکٹ" لے آئینگے۔ "انٹرم ریلیف"
جیسے "جنرلسٹ آرگنائزیشن" مانگ کر رہی
ہے اسکے تحت بڑھا سکینگے۔ رکمنڈیشنس کو جلد سے
جلد لاگو کرنے کا انتظام کرینگے اور "ویج بورڈ
ریگولر انٹرول" میں آپ لگائینگے تو آپ کو جو
"یونائیٹڈ فرنٹ" گورمنٹ ہے اور اسکو جو "کلیرڈ
ایمس اینڈ آبجیکٹوس" ہیں۔ پروگرامس ہیں۔
اسکے ساتھ ٹھیک ہوگا۔ انصاف ہوگا۔ اور جو
بے انصافی جنرلسٹ کے ساتھ اور "امپلائر" کے
ساتھ امپلائرس کے ذریعہ ہوا ہے وہ سرکار کے
ذریعہ اسکو کم کیا جائیگا۔ شکریہ۔ "ختم شد"

श्री जलालुद्दीन अंसारी: (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1995 लाया गया है इसका मैं समर्थन करता हूं और इसमें जो प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक प्रवर्ग में एक-एक प्रतिनिधि बढ़ाए गए हैं इसका भी मैं समर्थन करता हूं। लेकिन मैं सरकार से और माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं उनसे कहना चाहूंगा कि यह बिल श्रमजीवी पत्रकार और जो समाचार-पत्रों में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी जो समस्यायें हैं उसका पूर्णरूपेण समाधान नहीं है, अभी मेरे साथी सलीम साहब ने ठीक ही कहा कि समाज के सभी वर्गों के लोगों की समस्याओं को ये छापते हैं और इनकी जो समस्यायें हैं उनका कहीं समाधान ही नहीं है और सरकार भी उन पर विचार नहीं करती है। मैं जानता हूं कि इन पत्रकार बंधुओं और कर्मचारियों की एक लंबी लड़ाई रही है और यह जो वेज बोर्ड का गठन होता है, यह काफी दिन के बाद होता है। फिर रिपोर्ट काफी देर के बाद आती है और वेज बोर्ड की जो रिकमंडेशंस आती हैं, इन सिफारिशों को लागू करने में सरकार की ओर से जो पहल होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) पीठासीन हुए]

महोदय, मेरी मांग है कि वेज बोर्ड की जो रिकमंडेशंस आती हैं, वह कड़ाई के साथ लागू की जानी चाहिए ताकि पत्रकार और कर्मचारियों को उस का लाभ मिल सके। महोदय, साथियों ने ठीक ही कहा है कि वेज बोर्ड गठन करने के लिए एक समय भी निर्धारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10-15 साल के बाद वेज बोर्ड का गठन हो और इस को लेकर आंदोलन और ये लोग संघर्ष करते रहें। एक समय निर्धारित होना चाहिए कि इतने दिन के बाद फिर वेज बोर्ड का गठन किया जाय। वह अपनी सिफारिशें दे और उन्हें लागू किया जाय। अगर उस अवधि में वेज बोर्ड की रिकमंडेशंस नहीं आ पाती हैं तो सरकार उन्हें अंतरिम रिलीफ देनी होगी। तो अंतरिम रिलीफ उन को मिले, इस की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

मान्यवर, अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे, जो "फ्री-लांसर्स" हैं, उन के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। इस तरह जो "फ्री-लांसर्स" की भी अपनी समस्या है, लेकिन जो सर्विस में हैं, प्रेस चलाने वाले जो लोग हैं, अखबार चलाने वाले जो लोग हैं उन को मर्जी से चाहे जब हटा देते हैं। उसे लेकर बीच-बीच में अलग-अलग अखबारों में आंदोलन चलता रहता है। जिस का समर्थन हम लोग भी करते रहे हैं। तो उन की सेवा शर्तों की गारंटी हो और उस के लिए व्यवस्था कानून के रूप में की जाय। इसलिए मैं मांग करता हूं कि एक कांप्रेहेंसिव बिल, एक व्यापक और सम्यक बिल सरकार लाए जिस में श्रमजीवी पत्रकारों और समाचार-पत्र से संबंधित जो कर्मचारी हैं, उन की सेवा शर्तों की गारंटी हो, उन की समस्याओं का समाधान हो और उन्हें सुरक्षा मिले।

मान्यवर, इस बिल के एक खंड में कुछ व्यवस्था की गयी है ताकि उन का प्रतिनिधित्व हो। यह इन की लंबी मांग भी है और प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उन के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक संजीदगी से विचार कर के कांप्रेहेंसिव बिल लाएगी। साथ ही यह जो संशोधन है, इन संशोधनों का मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं।

†[شری جلال الدین انصاری (بہار): اپ سبھا ادھیکش مہودے۔ میں "شرمجیوی پترکار اور دیگر سماچار پتر کرمچاری (سیوا کی شرطیں اور پرکرن اپبندھ) سنشودھن بل 1995" جو لایا گیا ہے۔ اسکا میں سمرتھن کرتا ہوں اور اسمیں جو "پرتی ندھی کے روپ میں ہر ایک ورگ میں" ایک ایک پرتی ندھی بڑھائے گئے ہیں اسکا بھی میں سمرتھن کرتا ہوں لیکن میں سرکار سے اور مانیہ منتری جی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بل "شرمجیوی پترکار" اور جو سماچار پتروں میں کام کرنے والے کرمچاری ہیں انکی جو سمسیائیں ہیں انکا "پورن روپ سے سمادھان" نہیں ہے۔ ابھی میرے ساتھی سلیم صاحب نے ٹھیک ہی کہا کہ سماج کے سبھی ورگوں کے لوگوں کے مسائل کو یہ چھاپتے ہیں اور جو انکی سمسیائیں ہیں انکا کہیں سمادھان ہی نہیں ہے۔ اور سرکار بھی ان پر وچار نہیں کرتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ان پترکار بندھوؤں اور کرمچاریوں کی ایک لمبی لڑائی رہی ہے اور یہ جو "ویج بورڈ کا گٹھن ہوتا ہے" یہ کافی دن کے بعد ہوتا ہے۔ پھر رپورٹ کافی دیر سے بعد آتی ہے اور "ویج بورڈ کی جو رکمنڈیشن" آئی ہیں ان سفارشوں کو لاگو کرنے میں سرکار کی جانب سے جو پہل ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی ہے۔

["اپ سبھا ادھیکش (شری محمد سلیم) پیٹھاسین ہوئے"]

مہودے۔ میری مانگ ہے کہ "ویج بورڈ کی جو رکمنڈیشن آئی ہیں وہ کڑائی کے ساتھ لاگو کی جانی چاہیئں۔ تاکہ پترکار اور کرمچاریوں کو اسکا فائدہ مل سکے۔ مہودے ساتھیوں نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ "ویج بورڈ" گٹھن کرنے کیلئے ایک سمے بھی نردھارت ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ دس پندرہ سال کے بعد "ویج بورڈ کا گٹھن" ہو اور اسکو لے کر آندولن اور یہ لوگ سنگھرش کرتے رہیں۔ ایک سمے نردھارت ہونا چاہیے کہ اتنے دن کے بعد "ویج بورڈ کا گٹھن" کیا جائے اور وہ اپنی سفارشیں دے اور انہیں لاگو کیا جائے۔ اگر اس سمے میں ویج بورڈ کی رکمنڈیشنس نہیں آ پاتی ہیں تو سرکار کو انہیں "انترم ریلیف" دینا ہوگی تو "انترم ریلیف" انکو ملے۔ اسکی بھی ویوستھا ہونی چاہیئے۔

مانیور۔ ابھی ہمارے ایک دوست بول رہے تھے جو "فری لانسر" ہیں۔ انکے لئے بھی کچھ کیا جانا چاہیئے۔ اسطرح جو "فری لانسر" کی بھی اپنی سمسیا ہے لیکن جو سروس میں ہے۔ پریس چلانے والے جو لوگ ہیں۔ اخبار چلانے والے جو لوگ ہیں انکو مرضی سے جب چاہے ہٹا دیتے ہیں ایسے لیکر بھی بیچ بیچ میں الگ الگ اخباروں میں آندولن چلتا رہتا ہے جسکا کہ سمرتھن ہم لوگ بھی کرتے رہے ہیں تو انکی سیوا اور شرطوں

---

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

ی گارنٹی ہو اور اسکے لئے "ویوستھا" قانون کے روپ میں کی جائے۔ اسلئے میں مانگ کرتا ہوں کہ ایک "کمپری ہینسیو بل" ایک "ویاپک اور سمیک بل" سرکار لائے۔ جسمیں "شرمجیوی پتر کاروں اور سماچار پتروں سے متعلق" جو کرمچاری ہوں انکی سیوا شرطوں کی گارنٹی ہو۔ انکے مسائل کا حل ہو اور انھیں تحفظ ملے۔

مانیور۔ یہ انکی لمبی مانگ بھی ہے اور نمائندہ ہونا چاہیئے۔ انکے نمائندوں کی تعداد بڑھائی جانی چاہیئے۔ تو میں انہی شبدوں کے ساتھ اس بل کا سمرتھن کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ سرکار اس پر سنجیدگی سے وچار کرکے "کمپری ہینسیو" بل لائے گی۔ ساتھ ہی یہ جو "سنشودھن ہے" ان سنشودھنوں کا میں اپنی جانب سے اور اپنی پارٹی بھارتیہ کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے سمرتھن کرتا ہوں۔ ختم شد

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, sir thank you for giving me this opportunity to speak on the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 1995.

Sir, originally the Government intended to include two representatives from the working journalists' associations in the Board but, somehow, one association had been left out and it was brought to the notice of the Government. For that matter, I know that when the working journalists made a representation to the Labour Minister for including a representative of one of their associations as a member of the Board, the then Labour Minister, who is the present hon. Speaker of the Lok Sabha, had a long discussion with them and it was agreed to. When the recommendation was made by the Ministry, before it was brought before Rajya Sabha and the Lok Sabha, unfortunately, the elections intervened. The Bill could not be brought before the House. Though it is a very small Bill, making three members from the medium of newspapers, especially journalists, to be represented on the Board, it gives them the right to represent their grievances before the Board.

While submitting this, I want to say that we made a representation in this House for bringing in this Bill. Even in the month of February, 1996, the mention was made by me and other hon. Members, requesting the Government to bring in the Bill so that newspaper organisations can be well represented, but, unfortunately, it was delayed. Though it has been delayed, now it is better for working journalists because one of their organisations is being represented now.

Sir, the basic problem which journalists are facing is that the management is trying to prevent them from getting their due share of the money due to them. The Bachchawat Award came into being. Today we find from various organisations, the working journalists and also some of the employees who are working in newspaper organisations that the Award has not been fully implemented. Working journalists did not agree fully with the Bachchawat, Award, but even those provisions have not been fully implemented by newspaper barons. What punishment has been provided for the contravention. If the provisions are not implemented by newspaper barons, the punishment is a fine of mere Rs. 200/-. We are very liberal with newspaper barons. We can find out from this provision. There are working journalists. There are part-time employees. There are persons who are working full time. There is investigative journalism. There are so many other branches in which the employees are working.

Journalists made a demand that 50 per cent imterim relief should be given before a final decision is taken. But the Board announced only 15 per cent. Thereafter, 5 per cent was added to it, and the Government announced it. After working journalists went on strike, this announcement was made.

Sir, the Government should consider the genuine demand of working journalists because the newspaper baron's lobby is very powerful. It is very powerful in our country. Politicians and others are actually very much afraid of newspaper barons. Therefore, the sacrificial goats are working journalists. This is a very sorry state of affairs prevailing today in this country. Therefore, I request the hon. Minister to consider the genuine demand of working journalists and to give them 50 per cent interim relief as suggested by the employees. This is number one.

Number two, I am pained to say in this august House that the provisions have not yet been fully implemented by them. The hon. Labour Minister is here. He is a very good friend of working journalists, but, unfortunately, he is not able to help them. This is a very sorry state of affairs. I do not know whether he has been influenced by the newspaper barons or not. I want to know from the Minister whether he is interested in them.

Sir, several meetings have taken place. I want to know from the hon. Minister the decisions taken in the meetings. After the constitution of the Board with two members from working journalists, several meetings took place. What are the main decisions taken in the meeting? After the constitution of the Board but before the third member went in, three or four meetings were held. What major decisions were taken? Have the interests of working journalists been taken care of in those meetings? I want the hon. Minister to answer this point.

The final point I want to make is that the Government is showing its apathy towards working journalists. This is a very hard fact. Though those people are organised, they are under the threat of the newspaper barons. The Government also is not coming to their rescue.

It is a hard fact. They have strong organisations, but they are not able to assert themselves, because there is no support for them from the Government. When they agitate, the newspaper barons in some States close down their industry. It happened in Andhra Pradesh and in some other States. Therefore, I would request the hon. Minister to implement the law in true spirit. The people, who are working as a Fourth Estate, giving information to the people of the country without fear or favour, should not be under the threat of the newspaper barons. To achieve this end, I want the hon. Minister to come to their rescue and protect their interests and also to give them immediately the interim relief as demanded by them.

I am happy that he has brought this Bill in this session itself. Though it was agreed upon by the previous Labour Minister, yet due to elections, it could not be brought earlier.

It is a very small Bill. It gives protection to the working journalists, whose organisations have let them down, though they have got majority of members like in other unions. I thank the hon. Minister once again for bringing this Bill before the House. All the Members are interested in the passage of this Bill. I am sure that the Hon. Minister, while answering on this Bill, will also announce 50 per cent interim relief to the employees. Thank you, Sir.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य

समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1995 का मैं समर्थन करता हूं।

मान्यवर, मैं मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि इस विधेयक की गंभीरता और इस विधेयक की आवश्यकता पर ध्यान देकर के इन्होंने इस सदन में इसको प्रस्तुत किया है, यद्यपि यह विधेयक बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इस कानून की धारा 9 और 13(ग) में संशोधन करके वेज-बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा रही है। मेरे से पूर्व जिन सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट किए हैं, मैं भी उनके विचारों से अपने को संबद्ध कर रहा हूं।

मान्यवर, पत्रकारिता जनतंत्र का चौथा स्तंभ है। यदि हम सभी चाहते हैं कि जनतंत्र मजबूत रहे, देश आगे बढ़े तो इस इस चौथे स्तंभ को भी हमें मजबूत करना पड़ेगा। मेरी राय में जिस तरह से यह चौथा स्तंभ मजबूत रहना चाहिए, वह उस तरह से मजबूत नहीं हो पाया है और इसके लिए मैं समझता हूं कि सरकार की उदासीनता एक कारण रही है, सरकार में इच्छा-शक्ति नहीं है क्योंकि पत्रकारिता की डगर, पत्रकारिता का मार्ग मुझे बहुत कठिन लगता है। जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उनको सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए, उनकी सम्मानजनक जिन्दगी रहनी चाहिए क्योंकि जिस तरह का ये लोग परिश्रम करते हैं, वह बहुत कठिन कार्य होता है और कभी-कभी निष्पक्ष और स्वतंत्र समाचार छापने के कारण इनके ऊपर हमले भी हो जाते है। उदाहरण मेरे पास बहुत हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, कहीं उधर के लोग नाराज़ न हो जाएं। हमारे पत्रकार भाई जब अयोध्या में गए थे, तो उनके साथ क्या हुआ था?

(उपसभाध्यक्ष (श्री वी॰ नारायणसामी) पीठासीन हुए) उनकी पिटाई भी हुई, कैमरे भी छीने गए, दुर्व्यवहार भी किया गया। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उनका काम परिश्रम का और जोखिम भरा रहता है, लेकिन जो इन्हें वेतन मिलना चाहिए, जो इन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो इन्हें सम्मान मिलना चाहिए, वह इन्हें आज तक नहीं मिला है।

मंत्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करके वेज बोर्ड में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का जो प्रस्ताव किया है, यह बहुत अच्छा है लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक सारी समस्याओं का अध्ययन करके, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों की समस्याओं का अध्ययन करके एक पूर्ण विधेयक नहीं लाया जाएगा, तब तक इस कार्य में लगे हुए लोगों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह अनुरोध कर रहा हूं कि एक पूर्ण विधेयक आप लाइए, कांप्रिहैंसिव बिल लाइए और वेज बोर्ड के जो फैसलें हैं, उनको लागू कीजिए। फैसले तो आते रहते हैं लेकिन सरकार उनको कार्यान्वित करने में विलंब करती है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे अंतरिम राहत देने की घोषणा करें। अगर आप यह घोषणा करेंगे तो आपको बहुत यश मिलेगा, आप बहुत बड़ा काम करेंगे।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से और अपनी समाजवादी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि पत्रकारों के हित में आप उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करके इनका निराकरण करें ताकि इस कार्य में लगे हुए लोग सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल (गुजरात): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारी लोकशाही में पत्रकारिता का बहुत बड़ा स्थान है। पब्लिक ओपिनियन बनाने में, लोगों के प्रश्नों को हाईलाईट करने में और समाज की जो समस्याएं हैं, समाज-सुधार की जो बातें हैं उनको दिशा देने में समाचारपत्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है। समाचारपत्र मालिकों के बलबूते पर नहीं बल्कि अपने पत्रकारों के बल पर चलते हैं। उनका काम बड़ा मुश्किल होता है। मैंने बहुत से रिपोर्टस को देखा है कि किस तरह से वे अपनी जान की बाजी लगाकर रायट्स के समय में और टैररिस्ट्स के बीच जाकर समाचार लाते हैं। तो वे इस तरह समाज का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कभी-कभी सच बात बताने के लिए उन्हें कई अपॉज़िट ग्रुप के लोगों की मार-पीट भी सहन करनी पड़ती है।

महोदय, मुझे इस अवसर पर गुजरात के दो ऐसे उदाहरण याद आते हैं जब कि समाचारपत्र में सच बात लिखने के लिए और सरकार के विरुद्ध अपना मत व्यक्त करने के लिए और सरकार के गलत कामों को पब्लिक के सामने लाने के लिए उन हिम्मती पत्रकारों को धमकियां दी जाती थीं कि अकेले बाहर तो निकलो, आप कहां जाने वाले हो? कभी उनके खिलाफ झूठे केसेज़ दर्ज किए गए और कभी खून के किसी मामले में उनको जोड़ने का प्रयास किया गया। इस तरह से कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में इन रिपोर्टर्स को काम करना पड़ता है, यह हम सब देखते हैं। वे जब अपनी जान की

बाजी लगाकर और इतनी मेहनत से काम करते हैं तो हमें उनकी वाजिब मांगों को स्वीकार करना चाहिए।

सिक्योरिटी आफ जॉब के बारे में भी सोचा जाना चाहिए अकेले वेजिज से पूरा नहीं होता है, कभी भी उनको निकाला जा सकता है। वेजिज तो जरूरी ही है, जैसे महंगाई बढ़ती जाती है वैसे उनके वेजेज में भी बढ़ावा हो। आपके सामने और भी बताना जरूरी है कि इस क्षेत्र में महिलाएं भी आने लगी हैं। कहीं महिला पत्रकार होती है। तो उन लोगों के अपने-अपने प्रोब्लम होते हैं। घर गृहस्थी संभाल कर, अपने बच्चों को संभाल कर उनको काम पर जाना पड़ता है। तो उनकी जॉब सिक्योरिटी के साथ-साथ उनकी फैसिलिटी के बारे में भी विचार करना खुद जरूरी है। आजकल फ्री लाइसेंस भी एक क्षेत्र में असरकारक काम कर रहे हैं। उनके प्रोब्लम्स भी अलग हैं। इसके बारे में भी सोचना जरूरी है। तो मैं निवेदन करती हूं कि उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए यहां जो बिल लाया गया है उसमें सरकार से मेरी विनती है कि इन सब इश्यूज को ध्यान में रखते हुए सर्वग्राही बिल लेकर जल्दी से आए और उस पर अमल भी हो और जो इंटीरिम रिलीफ की बात की गई है उसका भी इम्प्लीमेंटेशन तात्कालिक हो। मंत्री जी, यहां बैठे हैं, इसके बारे में जरूर सोचेंगे और निर्णय लेकर तात्कालिक उस पर अमल करेंगे और सर्वग्राही बिल लेकर फिर से आएं। इसलिए मैं कामना व्यक्त करती हूं। क्योंकि यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है। अगर उनके मामले में विचार नहीं करेंगे तो वह अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे। अगर पत्रकारिता को बचाना है तो उनका गौरव, उनका महत्व समाज स्वीकार करे और सरकार भी स्वीकार करे। इस तरीके से बिल लाकर उनको सुविधा देनी चाहिए। थैंक यू।

SHRI R.K. KUMAR (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, it is a very simple Bill amending the main enactment to include one more member. But this is an occasion for me to say a few words about the welfare of working journalists.

Sir, this Bill concerns only the wages and emoluments. But, if we really want an independent Press and the welfare of working journalists and non-journalist workers in the newspaper industry, the real thing lies in the dispersal of ownership of newspapers. Newspapers under the clutches of industrialists are always biased and are not non-partisan. They do not take care of their working journalists or employees. Periodically, a wage board has to be appointed and the wage board has to go into all these things. Three decades back, the Indian Working Journalists' Federation passed a resolution in its Patna Conference. Journalists themselves should start small regional or local language papers—small and medium size papers. One such effort in Tamil Nadu failed because it was initiated by a cooperative movement and a big newspaper baron became the Cooperative Minister and the newspaper was crushed. Another similar venture was started by the working journalists in Tamil Nadu and I am happy to say that the paper started by the working journalist is doing very well for the last 25 years. So, I would appeal to the hon. Minister to keep in mind some scheme, some encouragement, for working journalists to own and operate newspapers. If such newspapers come throughout India in all languages, we would not have to constitute wage boards. A colleague of mine has pointed out that most of the newspapers, as against the demand of 50 per cent interim relief, have accepted only 15 per cent. I am happy to say that this paper which is run by the working journalists has fully implemented the award, 100 per cent. So, the long-term solution lies in the ownership of papers by working journalists themselves. The Government may kindly take note of this and encourage, in all possible manners, dispersal of ownership of newspapers from industrialists to working journalists themselves and give all encouragement to them to run their own newspapers. Thank you very much.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI I.K. GUJARAL): Sir, I will take a minute, with your permission. Yesterday, we had thought of my giving more information and thorough elucidation about the statement I had made on the CTBT. We had informal discussion with

some leading Members of the House and it has been felt that we might do it tomorrow at one o'clock.

Right now, I have also been summoned to the Lok Sabha because a debate is going on the same issue. If you kindly permit me, I will take leave of you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I think the House will agree because the Leader of the House is making a request. He has to be present in the other House also at the same time. Therefore, we can have the discussion tomorrow. Mr. Minister, you can reply to the debate now. *(Interruptions)*

डॉ० महेश चन्द्र शर्मा: उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे एक कलेरिफकेशन पूछना है इस बिल के बारे में। इसमें लिखा है कि दोनों बोर्ड्स के 11 मैम्बर, हैं जबकि दो पत्रकार, दो मालिक और तीन स्वतंत्र, ऐसे एक बोर्ड में सात होते है तो कुल चौदह होने चाहिएं। ये 11 ही क्यों हैं? फिर जो बढ़ोत्तरी मांगी गई है, वर्द्धन है 6 लोगों का, एक पत्रकार, एक मालिक, एक उच्चतम व्यक्ति और दो अन्य, कुल छह होने चाहिएं। इसमें 5 ही लिखे हैं। तो ये 11 और 5 क्यों हैं, इसका स्पष्टीकरण मैं चाहूंगा। साथ ही लिखा है कि 2,20,000 प्रतिं वर्ष खर्चा होगा। यह अनुमान कैसे निकाला गया है, मंत्री जी बताएं तो कृपा होगी।

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): Sir, I am very grateful to the hon. Members who have participated in the discussion on this Bill and I am really thankful for the valuable suggestions given by them while participating in the debate. This Bill has emerged as a result of many representations having been received in favour of accommodating a third union, namely, the Indian Journalists Union, a new organisation of journalists, which has come out of the Indian Federation of Working Journalists, on the Wage Board for working journalists. The Joint Action Report Committee of PTI and UNI Employees, the Federation of Non-working Journalist Newspaper Employees have also demanded representation on the Wage Board for non-jounalist newspaper employees. Similarly, the Indian Federation of Small and medium Newspapers have demanded representation on the new Wage Board as representatives. Therefore, after due consideration, it has been brought before this House. This Bill was referred to the Standing Committee of the Ministry and the Standing Committee has gone into all its aspects and has recommended the amendments. My distinguished colleague, Mr. Sharma, has put a question as to who the independent persons are. The independent persons referred to in section 9C and 13C refer to those persons who are persons of eminence and who are conversant with the working of the Wage Board. He also referred to the award of the Bachhawat Wage Board. The implementation of the award rests with the State Government. The Ministry is asking the State Governments to implement the award. Sir, most of the Members have talked about payment of interim relief. The question of interim relief, recommended by the Wage Board, is under the active consideration of the Government at the highest level. The previous Government had agreed on some percentage. The present Government wants to get the opinion of the Cabinet. Therefore, it has been circulated to the various Ministries. Some Ministries have given their opinion and others have yet to give. After getting their comments, I will be taking it to the Cabinet for its approval. Hardly one-an-a half or two months have passed. Therefore, the journalists can wait for another one month or so. Sir, about the part-time journalists, the matter is also before the Wage Board. They are going to make their recommendations on this. Sir, the previous Wage Board gave its award and recommendations in 1989. In 1994 a new Wage Board was set up. It was only after five years that a new Wage Board was set up. Anyway, wages are linked with the consumer price index. Even the Pay Commission for Central Government employees was set up after eight or nine years. Sir, you have yourself suggested to increase the penalty. Yes, I agree with you, Sir. The suggestion about increasing penalty for not implementing the recommendations of the Wage Board is well taken and we will consider it and increase the penalty. We will come back to the House. The amount of penalty, i.e. Rs. 200/- now provided is really inadequate.

Sir, Mr. Ish Dutt Yadav has said about the comprehensive legislation and other Members have also said about making a comprehensive amendment in the Act. Sir, I would like to point out that some changes in Act were carried out after the Bachhawat Wage Board gave its award. The Act can be further examined after the present Wage Board gives its recommendations.

With these words, I request the House to pass the Amendment Bill without any further delay. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Minister, I thank you for your positive response towards increasing the interim relief.

SHRI M. ARUNACHALAM: We are not increasing it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): For considerring it?

SHRI M. ARUNACHALAM: It has to go to the Cabinet, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I agree with you, but one thing I would like to tell you and that is the Cabinet could have decided it at an earlier stage. That is the observation I wanted to make. The working journalists went on strike and they make their representation. That aspect, I think, you will consider.

SHRI M. ARUNACHALAM: Regarding mathematics.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Are you considering to increase the number of members to five or six? What is the problem? Are you able to clarify that point?

SHRI M. ARUNACHALAM: Yes, Sir. There are two Wage Boards. As is rightly said, ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): No, no; he is asking about the nomination of members.

SHRI M. ARUNACHALAM: The following employees' and employers' organitions have their representations on the Wage Board: the Wage Board for Working Journalists, the Employers' representatives, the Indian Newspapers Society, the Indian Language Newspapers Association, the Employees' representatives, the Indian Federation of Working Journalists, the National Union of Journalists; the Wage Board for Non-working Journalists Newspaper employees, the Employers' Representatives, the Indian Newspaper Society, the Indian Language Newspapers Association the Employees' Representatives, the All India Newspaper Employees' Federation, the National Federation of Newspapers, etc. This is the composition of the Wage Board.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): What is the total number of members?

SHRI M. ARUNACHALAM: As it is, the number is eleven. After amendment it may go up to sixteen.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): The total number is sixteen!

SHRI M. ARUNACHALAM: Yes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): How can it be? One member is being added from the journalists' side. Who are the other members?

DR. MAHESH CHANDRA SHARMA: One journalist, one non-working journalist and one independent. ..*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I think the Minister will give a reply to you.

SHRI M. ARUNACHALAM: I will come back to you, Sir.

Sir, there would be two persons representing employers in relation to newspaper establishments, two persons representing working journalists and three independent persons, one of whom shall be a person who is, or has been, a Judge of High Court or the Supreme Court. So, there are seven members. Likewise, under clause 13C the number is fourteen. Independent members are common. So, the total number is eleven.

6.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I would like to make one observation. Mr. Minister, you have mentioned that Wage Boards are being constituted. But it takes 9 or 10 years. The journalists are working under private management. I would like you to take note of my observation.

Now the question is:

> "That the Bill further to amend the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

CLAUSE 1

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now I shall put Clause 1 to vote. There is one amendment by Shri Arunachalam.

SHRI M. ARUNACHALAM: Sir, I beg to move:

> That at page 1, line 5, *for* the figure "1995" the figure "1996" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

THE ENACTING FORMULA

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now I shall put the Enacting Formula to vote. There is one amendment by Shri Arunachalam.

SHRI M. ARUNACHALAM: Sir, I beg to move:

> That at page 1, line 1, *for* the word "Forty-sixth" the word "Forty-seventh" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI M. ARUNACHALAM: Sir, I beg to move:

> "That the Bill, as amended, be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Since clarifications on CTBT have been postponed till tomorrow, I adjourn the House till 11 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at three minutes past six of the clock till eleven of the clock on Friday, the 2nd August, 1996.